स्थगन प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या : 174 / 2024

उनवान : करणसिंह बनाम ग्राम पंचायत अनोपपुरा जरिये सरपंच व अन्य अन्तर्गत धारा 97 (2) राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
30.01.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी याचिका में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 13.08.1999 के जरिये पट्टा संख्या 56 दिनांक 04.01.1999 को चुनौति दी गई थी। निगरानी याचिका के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (2) राजस्थानी पंचायती राज. अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विचारोपंरात पूर्व न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2019 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ ग्राम पंचायत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई थी। प्रकरण का अवलोकन किया गया। पक्षकारों को उपस्थिति हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जा चुका है। विचारोपंरात यह परिलक्षित होता है कि विवादित आदेश की वैधता एवं औचित्य का परीक्षण निगरानी प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। न्यायहित एवं सन्तुलन (Balance of Convenience) को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेश को मूल निगरानी याचिका के अन्तिम निस्तारण तक प्रभावी रखा जाए, जिससे किसी पक्ष को अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss) न हो तथा न्यायिक प्रक्रिया निष्प्रभावी न हो। अतः उपरोक्त कारणों से दिनांक 22.01.2019 को पारित अंतरिम स्थगन आदेश को मूल निगरानी याचिका के अन्तिम निस्तारण तक स्थायी (Confirmed till final disposal of revision) किया जाता है। फलस्वरुप, स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत की जाकर मूल पत्रावली के सलंग्न नत्थी हो। [signature] अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	

Scanned with OKEN Scanner